क.

हार्प्रीत कौर और ओआरएस।

वी.

मोहिंदर यादव और ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 9233)

15 दिसंबर, 2022

[कृष्णा मुरारी और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:s.166-घातक दुर्घटना-क्षतिपूर्ति-आय के नुकसान और संघ के नुकसान की गणना-पीड़ित-मृतक की मोटर वाहन दुर्घटना में लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मृत्यु हो गई-मृतक घटना के समय लगभग 35 वर्ष की आयु का एक किसान/कृषक था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी, दो नाबालिग बच्चे और उसकी माँ थी-दावा याचिका यू/एस। 166 अधिनियम-न्यायाधिकरण ने याचिका को आंशिक रूप से मंजूरी दी और एक करोड़ रुपये की राशि का आदेश दिया। 6,60,000-6 प्रतिशत ब्याज के साथ-दावेदारों द्वारा इस आधार पर अपील की गई कि न्यायाधिकरण ने केवल सौनी फसलों पर विचार किया, न कि रबी/हरी फसलों पर जो भूमि पर भी उगाई जाती थीं-उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और कुल मुआवजे को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। 17,66,000 7.5% ब्याज के साथ; उच्च न्यायालय ने मृतक की आय का आकलन रु। 95, 000/-, 40 प्रतिशत भविष्य की संभावनाओं को जोड़ा और मृतक के खर्चों के लिए एक चौथाई की कटौती की-अभी भी मुआवजे की राशि से पीड़ित, दावेदारों ने तत्काल अपील दायर की-आयोजितःमृतक गाँव का एक लैम्बरदार था, और एक स्नातक था-अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है कि वह 66 एकड़ में खेती कर रहा था, और उन कृषि भूमि की आय से उपज के मूल्य का एक तिहाई का हकदार था-इसके अलावा, वह 12 एकड़ में खेती करता था और प्राप्त कर रहा था-स्वीकृत रिटर्न रु। 95, 000/- मृतक की पत्नी के अनुसार, मृतक की आय रु। 1,00,000-दावा 1 करोड़ की सीमा के लिए था-जबकि बाद की राशि के लिए कोई सबूत नहीं था, दस्तावेजी साक्ष्य ने व्यापक भूमि की खेती के संबंध में अपीलार्थी के मामले का समर्थन किया-इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आय का आकलन @

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

रु. 95, 000/- निचले छोर पर प्रतीत होता है, और अपर्याप्त है-मामले की परिस्थितियों में, यह उचित होगा कि वास्तविक आय की गणना रु. 1,50,000-प्रति वर्ष-भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत लागू करते हुए, कुल वार्षिक आय राशि 2,10,000-एक चौथाई कटौती (आश्रितों) के साथ, निर्भरता का वार्षिक नुकसान रु. 1,57,500-16 के गुणक को लागू करते हुए, निर्भरता का कुल नुकसान रु। 25,20,000।

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

आयोजित किया गया**:1.** दस्तावेजी साक्ष्य में भरे गए और कृषि उपज बाजार समिति को प्रस्तुत किए गए प्रपत्र शामिल थे। इसके अलावा**,** दस्तावेजों में मृतक**,** उसके माता**-**पिता और भाई के बीच समझौता शामिल था**,** जिसके तहत उसे उनके स्वामित्व वाली भूमि पर खेती करने की अनुमति दी गई थी**,** और वह उपज के मूल्य के एक तिहाई का हकदार था।यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वे गाँव के लम्बरदार और स्नातक भी थे।उन्होंने कुल **66** एकड़ भूमि पर खेती की।उनके पास **12** एकड़ जमीन थी।न्यायाधिकरण रुपये की एकमुश्त राशि पर पहुंचा। **95, 000/-** प्रति वर्ष**,** और उस राशि से एक तिहाई की कटौती की**,** इस आधार पर कि यह व्यय है**,** और मृतक के रहने के खर्च के लिए एक तिहाई राशि की और कटौती की।उच्च न्यायालय ने रु। **38, 000/-** रुपये की राशि के लिए। **95, 000/-,** भविष्य की संभावनाओं के लिए **(40** प्रतिशत की दर से**)** और मृतक के खर्चों के लिए एक चौथाई की कटौती की गई**,** जिसके परिणामस्वरूप आय की गणना रु। **99, 750/-** प्रतिवर्ष। इसने **16** का गुणक लागू किया और रुपये के अंतिम आंकड़े पर पहुंचने के लिए अन्य तत्वों को जोड़ा। **17,66,000-7.5%** प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।**[**पैरा **8] [59-**ई**-**एच**]**

ग

डी.

ई.

च

2. भले ही उच्च न्यायालय ने आय का स्तर बढ़ाया हो**,** लेकिन उसने इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में संबोधित नहीं किया। अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक **66** एकड़ में खेती कर रहा था**,** और उन कृषि भूमि की आय से उपज के मूल्य का एक तिहाई का हकदार था।इसके अलावा**,** उनके पास **12** एकड़ से अधिक जमीन थी और वे खेती कर रहे थे।स्वीकार किए गए रिटर्न रुपये के थे। **95, 000/-**।पहले के अनुसार

जी.

एच.

क.

अपीलार्थी **(**मृतक की पत्नी**)** की मृतक की आय रु। **1,00,000-**प्रति माह**;** दावा **1** करोड़ की सीमा के लिए था।हालांकि बाद की राशि के लिए कोई सबूत नहीं है**,** दस्तावेजी साक्ष्य ने व्यापक भूमि की खेती के संबंध में अपीलार्थी के मामले का समर्थन किया।इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए**, 95,000/-** की आय का आकलन निचले स्तर पर और अपर्याप्त प्रतीत होता है।मामले की परिस्थितियों में**,** यह उचित होगा कि वास्तविक आय की गणना प्रति वर्ष रु**. 1,50,000** के हिसाब से की जानी चाहिए।भविष्य की संभावनाओं के लिए **40** प्रतिशत को लागू करते हुए**,** कुल वार्षिक आय **(**रु। **1,50,000 +** रु**. 60, 000)** की राशि **2,10,000** है।एक चौथाई कटौती **(**आश्रितों**)** के साथ**,** निर्भरता का वार्षिक नुकसान **(**रु। **2,10,000-**रु**. 52, 500)** रु। **1,57,500**।**16** के गुणक को लागू करते हुए**,** निर्भरता का कुल नुकसान **(**यानी**, 1,57,500 x16)** रु। **25,20,000**।**[**पैरा **9] [60-**ए**-**डी**]**

मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी **v.**नानू राम**-**आश्रित

डी.

पर।

राजेश बनाम राजबीर सिंह (2013) 9 एससीसी 54:[2013] 5 एससीआर

961; राष्ट्रीय बीमा कंपनी **v.**प्रणय सेठी **(2017) 16**

एससीसी **680:[2017] 13** एस**.** सी**.** आर**. 100-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

ई.

(2018) 18 एस**.** सी**.** सी**. 130** पैरा **12** पर निर्भर था।

[2013] 5 एस**.** सी**.** आर**. 961** पैरा **11** और **12 [2017] 13** एस**.** सी**.** आर**. 100** पैरा **12** को संदर्भित

च

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2022 की सिविल अपील संख्या 9233।

2007 (ओ एंड एम) के एफ. ए. ओ. No.2228 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से आभास क्षेत्रपाल, सिद्धार्थ झा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।गोपाल झा, नेहल कश्यप, अमित कुमार सिंह, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, सुश्री चुबलेमला चांग, प्रांग न्यूमाई, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

एच.

57

हार्परीत कौर और ओआरएस. बनाम.मोहिंदर यादव और ओआरएस।

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई. पक्षकारसभक वकीलक सहमतिसँ अंततः अपीलपर सुनवाइ भेल।

2. अपीलार्थी चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय 1 से व्यथित हैं, जिसने याचिकाकर्ताओं को दिए गए मुआवजे को 6,60,000 (6 प्रतिशत ब्याज के साथ) से 17,66,000 (7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ) तक बढ़ाते हुए उनकी पहली अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी।अपीलार्थियों की शिकायत है कि उच्च न्यायालय ने आय के नुकसान के लिए मुआवजे की गणना में गलती की, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद, "मोटर वाहन अधिनियम") के तहत अंतिम मुआवजे की गणना करते समय "प्यार और स्नेह के नुकसान" के शीर्ष के तहत कोई राशि देने में विफल रहा।

`

`

ग

तथ्य।

3. आई. डी. 1 पर मृतक, स्वर्गीय जगजीत सिंह दो अन्य यात्रियों के साथ एक कार में चंडीगढ़ से लौट रहे थे, जब लापरवाही से चले एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी।गंभीर रूप से घायल, उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया।दावेदार-याचिकाकर्ताओं ने 23.02.2005 पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद, "MACT") के समक्ष दावा दायर किया।

डी.

ई.

4. यह एक स्वीकृत तथ्य है (दोनों मंचों के समक्ष) कि मृतक, जो मुख्य रूप से एक किसान/कृषक था, घटना के समय 35 वर्ष का था और उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो नाबालिग बच्चे और उसकी माँ (4 दावेदार) थीं।एम. ए. सी. टी. ने निष्कर्ष निकाला कि जगजीत सिंह की दुर्घटना में लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मृत्यु हो गई थी, और आंशिक रूप से 6,60,000 के एकमुश्त पुरस्कार के साथ दावे की अनुमति दी। 2 पीड़ित, याचिकाकर्ताओं ने 2007 में उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर अपील की कि एम. ए. सी. टी. ने केवल सौनी फसलों पर विचार किया था, न कि रबी/हरी फसलों पर जो भूमि पर भी उगाई जाती थीं।उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले द्वारा पहली अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और कुल मुआवजे को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। 17,66,000 (7.5% ब्याज के साथ)।जबकि तीनों

च

` ए.

जी.

1 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एफ. ए. ओ. सं. 2228/2007 (ओ. एंड. एम.) में अंतिम निर्णय दिनांक 18.03.2019।

2 23.02.2005 के MAC नंबर 2 में दिनांकित 25.01.2007 आदेश।

एच.

उत्तरदाताओं (चालक, ट्रक के मालिक और बीमाकर्ता) को संयुक्त और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था, क्योंकि ट्रक का तीसरे प्रतिवादी द्वारा विधिवत बीमा किया गया था, बाद वाले को पूरे मूल्यांकन किए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

ग

डी.

ई.

5. एम. ए. सी. टी. और उच्च न्यायालय द्वारा की गई गणना और मुआवजे का निर्धारण, नीचे सारणीबद्ध प्रारूप में संक्षेपित किया गया हैः

च

विवादात्मक बातें

6. इस अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि मृतक एक किसान था जो लगभग 66.95 एकड़ (546 कनाल और 13 मरला) में खेती करता था।इस कुल में से, उनकी पत्नी (पहली अपीलकर्ता) और उनके पास क्रमशः 113 कनाल 9 मार्ला और 24 कनाल 1 मार्ला था।बाकी जमीन उनके परिवार के सदस्यों (उनके माता-पिता, उनके भाई और परिवार के सदस्यों) के स्वामित्व में थी।

जी.

3 ध्यान देंःएम. ए. सी. टी. ने निष्कर्ष निकाला था कि कृषि भूमि से आय रु। 95, 000 जिसमें से एक तिहाई खर्च के रूप में काटा गया था; 1,65,000 कुल आय थी।इसमें से एक तिहाई को व्यक्तिगत व्यय के रूप में काटा गया था, ताकि दावेदारों की अंतिम आय/योगदान प्रति वर्ष 1,43,000 पर पहुंचा जा सके।

एच.

59

हार्परीत कौर एंड ओआरएस. वी.मोहिंदर यादव और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

क.

साली)।एक लिखित समझौते द्वारा, 2003 से, इन सभी भूमि पर मृतक द्वारा खेती की जाती थी, जिसने अपने श्रम/प्रयास के भुगतान के रूप में उपज का एक तिहाई हिस्सा अपने पास रखा।यह भी आग्रह किया गया कि मृतक गाँव का लाम्बाडार था, और इस भूमिका से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाता था।एक उद्यमी व्यक्ति, इस अदालत के समक्ष यह दोहराया गया कि वह युवा, सुशिक्षित और प्रगतिशील किसान थे, जिन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किया, और भूमि से आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।यह तर्क दिया गया था कि मृतक आय पैदा करने वाली गतिविधि के केंद्र में था, और उसकी आय में लगातार वृद्धि उसके गतिशील दृष्टिकोण का प्रमाण थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि उनकी मृत्यु ने आय पैदा करने की क्षमता को प्रभावित किया, और इसलिए, उस अंक पर निर्भरता का नुकसान महत्वपूर्ण था।

ग

7. नोटिस दिए जाने के बावजूद, पहले दो उत्तरदाताओं ने उपस्थिति दर्ज नहीं की और कार्यवाही का विरोध नहीं किया।तीसरे उत्तरदाता ने आग्रह किया कि चूंकि व्यवसाय चल रहा है, वास्तव में निर्भरता का कोई नुकसान नहीं है।यह प्रस्तुत किया गया था

कि व्यवसाय कृषि भूमि के कारण था, और चूंकि याचिकाकर्ता, मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में, भूमि के मालिक हैं और उस पर कब्जा करते हैं, इसलिए आय में कोई वास्तविक गिरावट नहीं है।

डी.

विश्लेषण और निष्कर्ष

8. इस मामले में न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य मौखिक और दस्तावेजी दोनों थे।याचिकाकर्ता ने गवाही दी है, और कहा है कि मृतक ने 1 1,00,000-प्रति माह अर्जित किया है।दस्तावेजी साक्ष्य में भरे गए और कृषि उपज बाजार समिति को प्रस्तुत किए गए प्रपत्र शामिल थे।इसके अलावा, दस्तावेजों में मृतक, उसके माता-पिता और भाई के बीच समझौता शामिल था, जिसके तहत उसे उनके स्वामित्व वाली भूमि पर खेती करने की अनुमति दी गई थी, और वह उपज के मूल्य के एक तिहाई का हकदार था।यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वे गाँव के लम्बरदार और स्नातक भी थे।उन्होंने कुल 66 एकड़ भूमि पर खेती की। उनके पास 12 एकड़ जमीन थी।न्यायाधिकरण ने प्रति वर्ष 95,000/- की एकमुश्त राशि प्राप्त की और उस राशि में से इस आधार पर एक तिहाई की कटौती की कि यह व्यय है और मृतक के जीवन यापन के खर्च के लिए एक तिहाई राशि की और कटौती की।उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं (40 प्रतिशत की दर से) के लिए 95,000/- की राशि में 38,000/- रुपये जोड़े और मृतक के खर्चों के लिए एक चौथाई की कटौती की, जिसके परिणामस्वरूप आय की पुनः गणना 99,750/- प्रति वर्ष हो गई।इसने 16 का गुणक लागू किया और प्रति वर्ष 7.5% की दर से ब्याज के साथ 17,66,000 के अंतिम आंकड़े पर पहुंचने के लिए अन्य तत्वों को जोड़ा।

ई.

च

`

`

जी.

`

`

` ए.

एच.

60

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

9. इस अदालत की राय है कि भले ही उच्च न्यायालय ने आय का स्तर बढ़ाया हो, लेकिन उसने इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में संबोधित नहीं किया।अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक 66 एकड़ में खेती कर रहा था, और उन कृषि भूमि की आय से उपज के मूल्य का एक तिहाई का हकदार था।इसके अलावा, उनके पास 12 एकड़ से अधिक जमीन थी और वे खेती कर रहे थे।स्वीकार किए गए रिटर्न 95,000/- के थे।प्रथम अपीलार्थी (मृतक की पत्नी) के अनुसार मृतक की आय 1,00,000-प्रति माह थी; दावा 1 करोड़ की सीमा के लिए था।हालांकि बाद की राशि के लिए कोई सबूत नहीं है, दस्तावेजी साक्ष्य ने व्यापक भूमि की खेती के संबंध में अपीलार्थी के मामले का समर्थन किया।इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, 95,000/- की आय का आकलन निचले स्तर पर और अपर्याप्त प्रतीत होता है।मामले की परिस्थितियों में, यह उचित होगा कि वास्तविक आय की गणना @1,50,000-प्रति वर्ष की जानी चाहिए।भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत का उपयोग करते हुए, कुल वार्षिक आय (1,50,000 + 60,000) 2,10,000 है।एक चौथाई कटौती (4 आश्रितों) के साथ, निर्भरता

का वार्षिक नुकसान (2,10,000-52,500) 1,57,500 होगा।16 के गुणक को लागू करते हुए, निर्भरता का कुल नुकसान (यानी, 1,57,500 x16) रु। 25,20,000।

`

`

`

`

ग

`

`

`

`

`

`

डी.

`

10. अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया था कि विशेष रूप से चौथे याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए संघ के नुकसान की राशि बहुत कम है।40, 000/- की राशि स्पौसल कंसोर्टियम और 1,00,000-फिलियल और पेरेंटल कंसोर्टियम को प्रदान की गई।

`

ई.

` ए.

11. संघ के मुद्दे पर, इस अदालत ने राजेश में टिप्पणी की थी

v. राजबीर सिंह 4, किः“17. ..... कानूनी भाषा में, "संघ" जीवनसाथी का कंपनी, देखभाल, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, समाज, सांत्वना, स्नेह और अपने साथी के साथ यौन संबंधों का अधिकार है।हर्जाने के उस गैर-आर्थिक प्रमुख को हमारी अदालतों द्वारा ठीक से नहीं समझा गया है।साथी, प्यार, देखभाल और सुरक्षा आदि की हानि, जो जीवनसाथी पाने का हकदार है, उसे उचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।संघ के नुकसान के लिए गैर-आर्थिक क्षति की अवधारणा दुनिया के अन्य हिस्सों में मुआवजे के पुरस्कार के प्रमुख प्रमुखों में से एक है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में।

च

जी.

4 (2013) 9 एससीसी 54

एच.

61

हार्परीत कौर एंड ओआरएस. वी.मोहिंदर यादव और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। अंग्रेजी अदालतों ने अस्थायी अक्षमता की अवधि के दौरान भी जीवनसाथी के मुआवजे प्राप्त करने के अधिकार को भी मान्यता दी है।संघ के नुकसान से, अदालतों ने भविष्य के वर्षों के दौरान जीवनसाथी के स्नेह, आराम, सांत्वना, साहचर्य, समाज, सहायता, सुरक्षा, देखभाल और यौन संबंधों के नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया है।अन्य देशों और अन्य क्षेत्राधिकारों में दिए गए मुआवजे के विपरीत, चूंकि कानूनी उत्तराधिकारियों को अन्यथा आर्थिक नुकसान के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाता है, इसलिए इस शीर्ष के तहत एक बड़ी राशि देना उचित नहीं होगा।इसलिए, हमारा विचार है कि यह केवल न्यायसंगत और तर्कसंगत होगा कि अदालतें संघ के नुकसान के लिए कम से कम एक लाख रुपये का फैसला दें।"

ग

12. राजेश बनाम राजबीर के फैसले का अन्य फैसलों में पालन किया गया।हालाँकि, इन निर्णयों में दृष्टिकोण को राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम में पाँच-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।प्रणय सेठी 5, जहाँ इस अदालत ने संकेत दिया कि संघ के प्रति राशि प्रदान करने में सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिएः

डी.

“52. [...] इसलिए, हम सोचते हैं कि यह उचित राशि तय करने के लिए प्रतीत होता है।हमें ऐसा लगता है कि पारंपरिक शीर्षों पर उचित आंकड़े, अर्थात् संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च रु। 15, 000/-, रु। 40, 000/- और रु। 15, 000/- क्रमशः।उक्त प्रमुखों पर पुनर्विचार करने का सिद्धांत एक स्वीकार्य सिद्धांत है।लेकिन समीक्षा तथ्य-केंद्रित या मात्रा-केंद्रित नहीं होनी चाहिए।हमारा मानना है कि यह खेदजनक होगा कि हमने जो राशि निर्धारित की है, उसे हर तीन साल में प्रतिशत के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए और तीन साल की अवधि में वृद्धि 10 प्रतिशत की दर से होनी चाहिए।"

ई.

च

इस सिद्धांत को लागू करते हुए, मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी v.नानू

जी.

राम 6 इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“20. एम. ए. सी. टी. के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने संघ के नुकसान के संबंध में कोई मुआवजा नहीं दिया है और

5 (2017) 16 एससीसी 680 6 (2018) 18 एससीसी 130

एच.

62 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

संपत्ति का नुकसान, जो अन्य पारंपरिक शीर्ष हैं जिनके तहत मृत्यु की स्थिति में मुआवजा दिया जाता है, जैसा कि प्रणय सेठी में संविधान पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त है।मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी और कल्याणकारी कानून है।न्यायालय कर्तव्यबद्ध है और "न्यायसंगत मुआवजा" देने का हकदार है, भले ही दावेदार द्वारा उस ओर से कोई याचिका दायर की गई हो।अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, और न्याय के हित में, हम प्रत्यर्थियों 1 और 2 को संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000 रुपये की राशि प्रदान करना उचित समझते हैं।

21. प्रणय सेठी [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी] मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ।प्रणय सेठी (2017) 16 एस. सी. सी. 680:(2018) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 248:(2018) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 205] विभिन्न शीर्षों से संबंधित है जिनके तहत मृत्यु के मामले में मुआवजा दिया जाना है।इन प्रमुखों में से एक संघ का नुकसान है।कानूनी भाषा में, "कंसोर्टियम" एक समग्र शब्द है जिसमें "स्पौसल कंसोर्टियम", "पेरेंटल कंसोर्टियम" और "फिलियल कंसोर्टियम" शामिल हैं।संघ के अधिकार में मृतक की कंपनी, देखभाल, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, सांत्वना और स्नेह शामिल होगा, जो उसके परिवार के लिए एक नुकसान है।जीवनसाथी के संबंध में, इसमें मृत जीवनसाथी के साथ यौन संबंध शामिल होंगेः[राजेश बनाम राजबीर सिंह (2013) 9 एस. सी. सी. 54]।

डी.

ई.

21.1.पति-पत्नी संघ को आम तौर पर पति-पत्नी के रिश्ते से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवित पति या पत्नी को "कंपनी, समाज, सहयोग, स्नेह और प्रत्येक वैवाहिक संबंध में दूसरे की सहायता" के नुकसान के लिए मुआवजे की अनुमति देता है।[ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण, 1979)।]

च

21.2.माता-पिता की समय से पहले मृत्यु होने पर बच्चे को "माता-पिता की सहायता, सुरक्षा, स्नेह, समाज, अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण" के नुकसान के लिए माता-पिता संघ प्रदान किया जाता है।

जी.

21.3.फिलियल कंसोर्टियम ए की आकस्मिक मृत्यु के मामले में मुआवजे के लिए माता-पिता का अधिकार है।

एच.

63

हार्परीत कौर और ओआरएस. बनाम.मोहिंदर यादव और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

बच्चा।एक बच्चे की मौत के कारण होने वाली दुर्घटना से मृतक के माता-पिता और परिवार को बहुत सदमा और पीड़ा होती है। माता-पिता के लिए सबसे बड़ी पीड़ा अपने जीवनकाल में अपने बच्चे को खोना है।बच्चों को उनके प्यार, स्नेह, साहचर्य और परिवार इकाई में उनकी भूमिका के लिए महत्व दिया जाता है।

22. कंसोर्टियम एक विशेष प्रिज्म है जो वास्तविक संबंधों की स्थिति और मूल्य के बारे में बदलते मानदंडों को दर्शाता है। दुनिया भर के आधुनिक न्यायालयों ने माना है कि बच्चे के संघ का मूल्य बच्चे की मृत्यु के मामले में दिए गए मुआवजे के आर्थिक मूल्य से कहीं अधिक है।इसलिए अधिकांश क्षेत्राधिकार माता-पिता को बच्चे की मृत्यु पर संघ के नुकसान के तहत मुआवजे से सम्मानित करने की अनुमति देते हैं।माता-पिता को दी जाने वाली राशि मृतक बच्चे के प्यार, स्नेह, देखभाल और साहचर्य के नुकसान के लिए एक मुआवजा है।

ग

डी.

23. मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य पीड़ितों या उनके परिवारों को वास्तविक दावों के मामलों में राहत प्रदान करना है।यदि माता-पिता ने अपने नाबालिग बच्चे, या अविवाहित बेटे या बेटी को खो दिया है, तो माता-पिता संतान संघ के प्रमुख के तहत संघ के नुकसान से सम्मानित होने के हकदार हैं।पेरेंटल कंसोर्टियम उन बच्चों को दिया जाता है जो अधिनियम के तहत मोटर वाहन दुर्घटनाओं में अपने माता-पिता को खो देते हैं। कुछ उच्च न्यायालयों ने इस संबंध में मुआवजे का आदेश दिया है।7 हालांकि, उन सिद्धांतों के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी जिन पर संतान संघ के नुकसान पर मुआवजा दिया जा सकता है।"

ई.

च

13. मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बताए गए सिद्धांतों के आवेदन पर, इस अदालत की राय है कि संतान और माता-पिता के संघ को बढ़ाया जाना चाहिए।हर बच्चा, और माँ

जी.

7 राजस्थान उच्च न्यायालय ने जगमाला राम बनाम सोही राम, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 3848:(2017) 4 आर. एल. डब्ल्यू. 3368; रीटा राणा बनाम प्रदीप कुमार, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन उत्तर 2435 में उत्तराखंड उच्च न्यायालयः(2014) 3 यू. सी. 1687; लक्ष्मण बनाम सुशीला चंद चौधरी में कर्नाटक उच्च न्यायालय, 1996 एस. सी. सी. ऑनलाइन कार 74:(1996) 3 कांत एलजे 570।

एच.

64

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

मृतक का, 40,000/- का हकदार है।इस प्रकार, संतान और माता-पिता के संघ के लिए देय कुल राशि 1,20,000-है।

`

`

14. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।अपीलार्थी निर्भरता के नुकसान के लिए 25,20,000 के हकदार हैं; और तीन अपीलार्थी जो मृतक के बच्चे और माँ हैं, वे संतान और माता-पिता के संघ के लिए 40,000/- के हकदार हैं।विवादित निर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है; ब्याज की दर, और अन्य घटक, जिन्हें देय होने के लिए निर्देशित किया जाता है, को बिना किसी बाधा के छोड़ दिया जाता है।लागत पर आदेश के बिना, इन शर्तों में अपील की अनुमति है।

`

`

देविका गुजराल और अनुराग भास्कर

अपील की अनुमति दी गई।

ग

(सहायकः प्रज्ञा सामल, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.